हिंसा के खिलाफ
बराबरी के हक में

ये केस स्टडीज़ जागोरी द्वारा संकलित की गई हैं और इनके लिए डेनचर्च एड, दक्षिण एशिया, नई दिल्ली से आर्थिक सहायता मिली है।

केवल सीमित वितरण के लिए।

इन केस स्टडीज में जो अनुभव और विचार प्रस्तुत किए गए हैं वे संबंधित महिला सर्वाइवर्स के हैं जो उन्होंने जागोरी की वायलेंस इंटरवेंशन टीम को बताए थे।

जागोरी

बी–114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017

फोन : 91–11–26691219 / 20

फैक्स : 91–11–26691221

जागोरी हेल्पलाइन : 91–11–26692700

ईमेल : ीमसचसपदम / रंहवतपण्वतह

वेबसाइट : ूण्रंहवतपण्वतह

अनुवाद : योगेंद्र दत्त

डिजाइनिंग : विनोद गुप्ता

मुद्रक :

हिंसा के खिलाफ
बराबरी के हक में

जागोरी

महिलाओं का दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण एवं संचार केंद्र है। जागोरी का मकसद रचनात्मक माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नारीवादी चेतना का प्रसार करना है। 1984 में स्थापित जागोरी का उदय भारतीय महिला आंदोलन के अनुभवों से हुआ है। नारीवादी मूल्यों के आधार पर एक न्यायसंगत समाज की रचना इसका लक्ष्य है। महिलाओं, खासतौर से ग्रामीण व शहरी उत्पीड़ित महिलाओं के हुनर विकास, सूचना एवं नेटवर्किंग संबंधी ज़रूरतों को पहचानते और पूरा करते हुए नारीवादी चेतना का निर्माण व प्रसार करना जागोरी का मकसद है।

हमारे उद्देश्य

» रचनात्मक नारीवादी सामग्री का उत्पादन व कार्यशोध।

» महिलाओं के अधिकारों व जेंडर समानता के सवालों पर चेतना निर्माण व नेतृत्व विकास।

» सुरक्षा, सम्मान, न्याय व अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए तमाम तरह की हिंसा के ख़िलाफ़ महिलाओं के संघर्षों में मदद देना।

» महिला संगठनों, सामुदायिक व स्थानीय संगठनों, मीडिया व विकास संगठनों की कार्यक्रम संबंधी एवं संसाधन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्य नारीवादी सरोकारों पर रचनात्मक ज्ञान व शैक्षिक सामग्री तैयार करना।

» लोकतांत्रिक परिधि को विस्तार देने और उस पर अपना दखल कायम करने तथा नारीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिशों को सींचने के लिए ऐडवोकेसी और नेटवर्किंग।

fo"k; lph

vkHkkj

हम उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहती हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल रही हैं।

हम मोनोबीना गुप्ता के आभारी हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इन महिलाओं के साक्षात्कार लिए और उनके अनुभवों को लिखा।

हम उन महिलाओं का तहेदिल से शुक्रिया कहना चाहती हैं जिन्होंने हमें अपनी जीवन यात्राओं के बारे में बताया। उनकी मदद और विश्वास के बिना यह दस्तावेज तैयार नहीं किया जा सकता था।

जागोरी इस प्रकाशन से जुडी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता है : जूही, खदीजा, निलांजु, सावरा, सुनीता ठाकुर और सविता।

हम अमृता नंदी जोशी के भी आभारी हैं जिन्होंने इस दस्तावेज की समीक्षा की और अपनी महत्वपूर्ण राय दी। उनके सुझावों से इस दस्तावेज की खामियों को दूर करने में मदद मिली है।

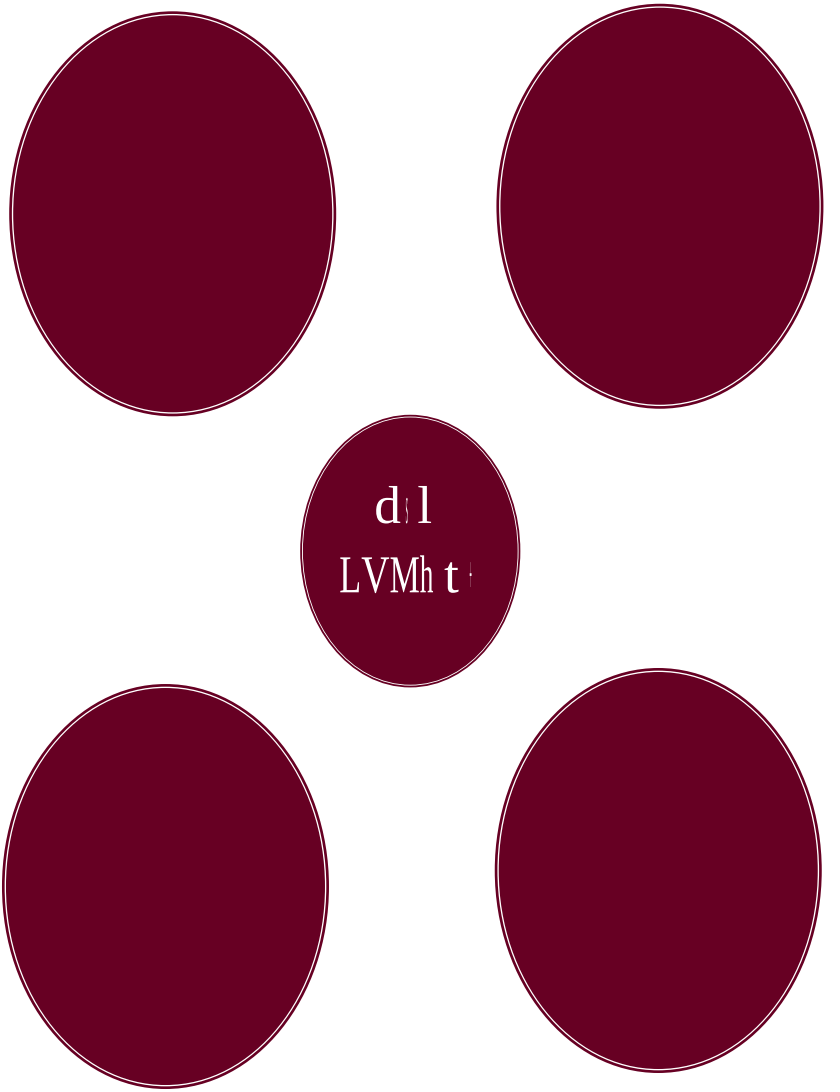
d l
LVMh t

ये अब किसी के लिए राज़ की बात नहीं है कि औरतों के मानवाधिकारों का जम कर हनन होता है। इसके बावजूद औरतें और ये मुद्दा, दोनों ही उपेक्षित हैं। हालांकि अब सरकार और समाज, दोनों ही इस समस्या को पहले से ज्यादा संज़ीदगी से मानने लगे हैं और महिलाओं को कानूनी मदद, संकट के समय हस्तक्षेप और सहायता ज़्यादा आसानी से भी मिलने लगी है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा बढ़ती जा रही है। सीडॉ से प्रभावित कानूनी फ्रेमवर्क में ये स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि महिलाओं के अधिकारों और सुविधाओं की सुरक्षा का जिम्मा मुख्य रूप से सरकार के ऊपर है। घरेलू हिंसा की रोकथाम और उससे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा संवेदनशील व हाशियाई महिलाओं सहित सभी महिलाओं को समुचित सेवाएं मुहैया कराने का जिम्मा सरकार को सौंपा गया है। विभिन्न संशोधनों के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए बनाए गए कानून, कानून लागू करने वाली संस्थाएं और व्यवस्था अभी भी पितृसत्तात्मक मूल्य-मान्यताओं की जकड़ से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। ये सफ़र मुश्किल रहा है, लेकिन जागोरी महिलाओं के खिलाफ़ होने वाली हर प्रकार की हिंसा को चुनौती देने का अभियान जारी रखे हुए है। अपने केस कार्यों के जरिए हमने पितृसत्तात्मक नियंत्रणों को चुनौती देने और उनकी जकड़ से बाहर आने में महिलाओं की मदद की है और उन्हें घर के भीतर व बाहर, दोनों जगह इज्ज़त और सुरक्षा के साथ जीने के उनके अधिकार को साकार करने में योगदान दिया है।

जनवरी 2004 से जागोरी द्वारा काउंसलिंग सेंटर में महिलाओं को प्रत्यक्ष सहायता दी जा रही है। इसके ज़रिए हम महिलाओं को क़ानूनी संसाधन और न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हिंसा का सामना कर रही महिलाएं इस हिंसा से उबरने के प्रयासों में सीखने की एक प्रक्रिया से गुजरें और इस बात को जानें कि यह हिंसा उनके अधिकारों का हनन है। अभी तक इस सेंटर में हमारे पास कुल 1048 महिलाएं मदद के लिए आ चुकी हैं। उनके मुद्दे दहेज संबंधी हिंसा, यौन हमले, घरेलू हिंसा, बलात्कार, बाल यौन उत्पीड़न, सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न, अपनी मर्जी से जीवन साथी

चुनने के अधिकार और अन्य प्रकार की हिंसा से संबंधित रहे हैं। हाल के सालों में अपने क़ानूनी और मौलिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाली पहले से ज़्यादा महिलाएं हमारे पास आने लगी हैं। इसके बावजूद एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है – महिलाओं को इस बात का सबक बहुत सख़्ती पढ़ाया जाता है कि वे किसी भी कीमत पर बस शादी में लौटने के 'निजी' विकल्प और अपनी सामाजिक हैसियत को बनाए रखने के लिए ही प्रयास करें भले ही उनको मालूम हो कि ऐसी सूरत में उनके साथ होने वाली हिंसा बंद नहीं होगी। दूसरी तरफ 'सार्वजनिक' विकल्प यह है कि वे परिवार छोड़ दें, सामाजिक निंदा का सामना करें, भौतिक वंचना से जूझती रहें, हां, ऐसे में उनके साथ हिंसा नहीं होगी।

Graphical representation of cases on VAW

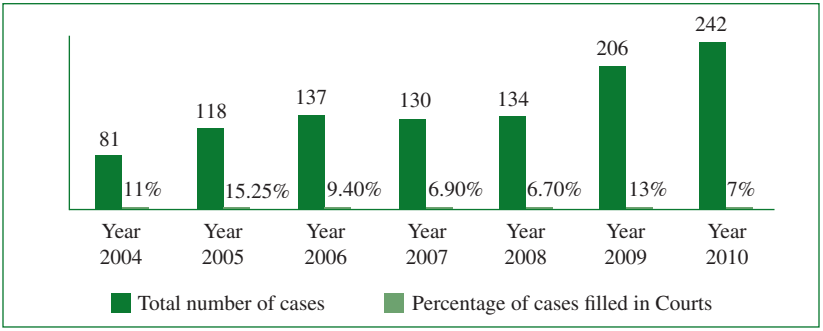

Kind of Cases

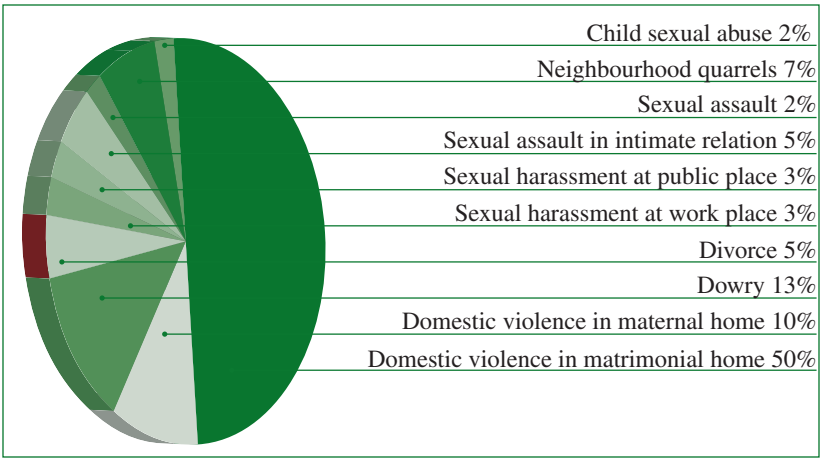

नीचे दिए गए दोनों ग्राफ़ जागोरी के पास मदद के लिए आने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफ़े को दर्शाते हैं। यहां इस बात पर ध्यान देना होगा कि अभी भी कानूनी मदद के लिए आने वाली महिलाओं का प्रतिशत कम है।

परिवारों, समुदायों और राजकीय संस्थाओं द्वारा महिलाओं के विरुद्ध की जा रही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिंसा अभी जारी भी है। नारी आंदोलन के हिस्से के तौर पर जागोरी ने सार्वजनिक और निजी के विभाजन को लगातार चुनौती दी है। हम जानते हैं कि हिंसा और भेदभाव महिलाओं के राजनीतिक मुद्दे हैं और यह समस्या परिवार के निजी दायरे में केंद्रित है। हिंसा से जूझ रही महिलाओं के साथ प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों के जरिए हमने महिलाओं का सशक्तिकरण करने और उन्हें उनके हालात व उसके संरचनात्मक कारणों की समझ मुहैया कराने के प्रयास किए हैं। हो सकता है मुख्यधारा की ताकतें इस तरह की महिलाओं के साथ हमारे इस सहयोग को शक की नज़र से देखती हों। असल में ये ऐसी ताकतें हैं जो महिलाओं के लिए परिवार को ही एकमात्र 'स्वाभाविक' और उचित दायरा मानती हैं। उनकी सारी फिक्र ये है कि "पारिवारिक सद्भाव बहाल" हो, भले ही इसके लिए औरतों को हर तरह की बेइज्ज़ती, हिंसा और भेदभाव क्यों न झेलना पड़े। एक नारीवादी संगठन के रूप में जागोरी ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को जेंडर असमानता के संरचनात्मक एवं संस्थागत फ्रेमवर्क में समझने और चिन्हित करने का प्रयास किया है।

प्रस्तुत दस्तावेज को तैयार करने के दो मकसद रहे हैं : (1) हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के अनुभवों को सामने लाना, ये देखना कि वे मौजूदा पितृसत्तात्मक व्यवस्था को किस तरह चुनौती देती हैं और वे किस तरह 'कामयाब' होकर निकली हैं, तथा (ख) संकटपूर्ण परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनों और अधिकारों के बारे में सूचनाएं मुहैया कराना।

हमने इस दस्तावेज में पांच केस स्टडीज़ ली हैं। ये केस स्टडीज़ इस बात को एक बार फिर दर्शाती हैं कि महिलाओं के दैनिक जीवन में हिंसा किस कदर अविभाज्य रूप से गुंथी हुई है। हिंसा के वाहक परिवार के भीतर भी हो सकते हैं और परिवार के बाहर अपरिचित दायरों के लोग भी हो

सकते हैं। यहां जो केस स्टडीज़ प्रस्तुत की गई हैं वे लड़कियों/महिलाओं के अदम्य साहस के सबूत हैं। ये ऐसी विजयी महिलाएं हैं जिन्होंने हालात को दुरुस्त करने और इंसाफ़ पाने के लिए आख़िरी मोर्चे तक लड़ाई लड़ी है। ये घटनाएंएक ऐसे सक्रिय और शक्तिशाली महिला आंदोलन व संगठन की ज़रूरत को भी रेखांकित करती हैं जो :

» विभिन्न स्तरों पर कैटेलिस्ट/मध्यस्थ के रूप में काम कर सके,

» परिवारों, पुलिस आदि संस्थाओं के साथ काम कर सके,

» और सबसे बढ़कर, जो हिंसा की शिकार महिलाओं को सुरक्षा, भावनात्मक स्थायित्व प्रदान करने के साथ-साथ उनके सुरक्षित, उत्पादनशील भविष्य के बारे में लगातार जानकारी देता रहे।

लिहाजा, ये महिलाएं 'विविधताओं' को पहचानती हैं और उनको सम्मान देती हैं, हालांकि वे इससे पैदा होने वाली असमताओं के ख़िलाफ़ न्याय के लिए संघर्ष भी कर रही हैं। काउंसलिंग और मदद के सहारे इन महिलाओं ने भय व हिंसा के अमानवीय हालात से सुरक्षा पाने और स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के अपने अधिकार के लिए साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी है।

(गोपनीयता के उद्देश्य से इन केस स्टडीज़ में सभी नाम और स्थान बदल दिए गए हैं)।

बीते सालों में नौकरीपेशा ज़िंदगी अपनाने वाली पढ़ी-लिखी और पेशेवर महिलाओं की तादाद में भारी इजाफ़ा हुआ। इसके चलते पिछले एक दशक के दौरान घरेलू कामगारों की मांग भी कई गुना बढ़ गई है। इसी बीच आदिवासी इलाकों में वन भूमि के सफ़ाए, तीव्र औद्योगीकरण तथा माओवादी व अलगाववादी गतिविधियों के चलते असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड आदि राज्यों में ग़रीब और निरक्षर आदिवासियों के हालात भी बिगड़े हैं। देश के तमाम बड़े शहरों में 'घरेलू मज़दूर एजेंसियां' कुकुरमुत्ते की तरह उग आई हैं। वे गरीब और भोले-भाले लोगों को फुसला कर उनकी बेटियों को घरेलू नौकरी और बच्चों की देखभाल की नौकरी का लालच देकर उन्हें शहरों में ले आते हैं।

ये दलाल कच्ची उम्र की लड़कियों को इस बात का भरोसा देकर अपने साथ ले आते हैं कि उन्हें तीनों वक्त खाना और ठीक-ठाक पैसा मिल जाएगा। मगर ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। उनमें से बहुत सारी ऐसे मानव व्यापारियों के जाल में फंस जाती हैं जो मोटी-मोटी कीमत लेकर उन्हें अमीरों को बेच देते हैं और वे इन अमीरों के रहमोकरम पर निर्भर हो जाती हैं। समुचित निगरानी और देखरेख की व्यवस्था न होने के कारण महिलाओं को आर्थिक रूप से आज़ाद और आत्मनिर्भर होने में सक्षम बना सकने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय अमीर और ख़तरनाक लोगों के हाथों इन ग़रीब आदिवासी लड़कियों के शोषण का ज़रिया बनकर रह गया है। आदिवासी इलाकों से दलालों के साथ शहरों में आने वाली ये लड़कियां अकसर असंवेदनशील, क्रूर या बेहद बर्बर मालिकों के लिए काम करने और/या उन्हीं के पास रहने को मज़बूर कर दी जाती हैं। ऐसे मालिक उन्हें खूब सताते और यंत्रणाएं देते हैं, मगर उनके मालिकों को क़ानून की कोई परवाह नहीं होती। उनके साथ तमाम तरह का उत्पीड़न और दुर्व्यवहार होता है। कभी उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनके साथ शारीरिक बर्बरता होती है तो कहीं उनको घर की चारदीवारी के भीतर ही कैद कर दिया जाता है। अगले पन्नों में हमने जिस घटना का ब्यौरा दिया है वह प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर रहे शिक्षित शहरी बाशिंदों द्वारा सत्ता के भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले दुरुपयोग का ब्यौरा है। यह घटना रईसों और ताक़तवर लोगों को बचाने की फ़िराक में मीडिया और पुलिस के बीच बनने वाले गठजोड़ को भी दर्शाती है।

मिथिला का सफरनामा

बीस साल की मिथिला को 2005 में सरला नाम की एक औरत झारखंड से दिल्ली लायी थी। सरला एक अनधिकृत एजेंसी की एजेंट थी। पहले साल मिथिला ने 2000 रुपये माहवार की तनख्वाह पर एक घर में नौकरी की। सलमा ने मिथिला को बताया था कि साल के आखिर में वह उसे उसके घर पहुंचा देगी। सरला ने अपने वायदे के खिलाफ़ इस आदिवासी लड़की को साल खत्म होने पर एक नए मालिक के सुपुर्द कर दिया। यह आदमी एक प्रतिष्ठित टेलीविजन चैनल में वरिष्ठ संपादक और व्यवसायी था। यह आदमी और उसका उच्चमध्य वर्गीय परिवार एक महानगर के आलीशान अपार्टमेंट में रहते थे। शुरू-शुरू में मिथिला फोन पर अपने घर वालों से बात कर लिया करती थी, लेकिन जल्दी ही हालात बदल गए और उसके मालिकों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अगले तीन साल तक मिथिला का खूब उत्पीड़न किया गया, उसके साथ मारपीट हुई, उसे दहशत में रखा गया, बाहरी दुनिया से उसका ताल्लुक पूरी तरह खत्म कर दिया गया। घर से बाहर जाने की बात तो दूर रही उसे बालकनी में भी पैर रखने की इजाज़त नहीं थी। जब भी उसके मालिक घर से बाहर जाते तो वे उसे ताले में बंद करके जाते थे। तीन साल तक मिथिला को कोई तनख्वाह नहीं मिली। शुरुआत में सरला ने मिथिला के मालिकों से 5,000 रुपये लिए थे और यह वादा किया था कि वो इस पैसे को मिथिला के मां-बाप को भेज देगी। काफ़ी बाद में मिथिला को पता चला कि ये पैसा कभी उसके मां-बाप तक नहीं पहुंचा।

हिंसा और मारपीट इस उत्पीड़न का शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा था। मिथिला का मालिक और उसकी बीवी, दोनों ने ही मिथिला को पीटने के लिए हर औजार का इस्तेमाल किया। उन्होंने रसोई के चाकू से लेकर

> वे लोग मुझे बेसबॉल के बैट से पीटते थे, मुझे दिन भर में सिर्फ़ दो रोटी देते थे। मैं आदिवासी हूं और हम लोग चावल खाकर ही बड़े हुए हैं इसलिए सजा के तौर पर मुझे चावल नहीं दिए जाते थे।

कई बार वे मुझे गर्म तवे से जलाते थे या मुझे कांच के टुकड़ों से बींधते थे।

बेसबॉल के बल्ले तक हर चीज उसके जिस्म पर आजमायी। पड़ोसियों ने भी अकसर उसकी चीख-पुकार सुनी थी, लेकिन कभी किसी ने दखल देने की ज़रूरत नहीं समझी। एक दिन दोनों मकानों की बालकनियों को बांटने वाली चिक में से पड़ोसी परिवार की घरेलू नौकरानी ने मिथिला का चेहरा देख लिया। उस पर जख्मों के गहरे निशान और कई ताज़ा जख़्म बने हुए थे। उसने फौरन अपने मालिकों को ये जानकारी दी और उन्होंने यह खबर जागोरी तक पहुंचा दी। उनकी मार्फत जागोरी को हालात का पूरा ब्यौरा मिला। इसी दौरान सख़्त मारपीट के बाद एक दिन किसी तरह मिथिला अपने पड़ोसी के घर में आ छिपी। पड़ोसियों ने फौरन ही इस बात की जानकारी जागोरी की टीम को दी और कहा कि वे मिथिला को लंबे समय तक अपने घर में नहीं रखना चाहते।

फरवरी की एक सर्द रात को जागोरी की वायलेंस इंटरनैशनल टीम (वीआईटी) ने पुलिस को मामले की पूरी इत्तिला करने के बाद मिथिला को उसके मालिकों के घर से रिहा कराया। उसके पूरे जिस्म पर खरोंच और चोटों के निशान थे। उसके सिर की हड्डी में एक छोटा-सा फ्रेक्चर भी था। इस पूरे वाकये में पुलिस का रवैया बहुत मददगार नहीं था। जागोरी की टीम ने लगातार इस बात के लिए दबाव डाला कि इस केस में कम से कम एक एफ़.आई.आर. दर्ज कर ली जाए जो पुलिस ने तीसरे दिन जाकर दर्ज की। जागोरी की साथी मिथिला को मेडिको लीगल सर्टीफिकेट (एम. एल.सी.) जांच के लिए अस्पताल में लेकर गयीं जिसके लिए पुलिसकर्मी भी मानो न चाहते हुए उनके साथ चले गए थे।

पुलिस ने मेरी मदद नहीं की। मेरे मालिकों ने मेरे साथ जो ज़्यादतियां की हैं मैं उसके लिए उनको सजा दिलाना चाहती हूं।

मैं तकरीबन लाश बन चुकी थी। मुझे दोबारा ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी।

मिथिला को रिहा कराने के बाद ट्राइबल डोमेस्टिक वर्कर्स एसोसिएशन के पास पहुंचा दिया गया। वहां उसे काउंसलिंग दी गई और बाद में उसे एक ऐसे परिवार के पास रखवा दिया गया जो दोनों संगठनों के लिए

परिचित था। पहले दो महीने तक मिथिला काम नहीं कर पाई। उसका सिर घूमता था और जोड़ों में दर्द रहता था। उसे पूरा खाना दिया गया और उसका ईलाज कराया गया। धीरे-धीरे उसके शरीर में ताक़त लौटने लगी और वह काम करने के काबिल हो गई। मिथिला का पुराना मालिक उस पर और जागोरी पर इस बात के लिए दबाव डालने लगा कि वे केस वापस ले लें। मिथिला हार मानने को तैयार न थी। उसने कहा कि न केवल वह अपनी पूरी बकाया मज़दूरी चाहती है, बल्कि वह चाहती है कि उन्होंने उसके साथ जितने अन्याय किए हैं उनके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

जागोरी, ट्राईबल डोमेस्टिक वर्कर्स एसोसिएशन और उसके नए मालिक ने मिलकर मिथिला के मां-बाप से भी संपर्क साध लिया। जल्दी ही उसे उसी शहर में काम कर रही उसकी बहन से भी मिलवा दिया गया और उसके भाई से भी मिलवाया गया जो पास के राज्य में काम कर रहा था। अब मिथिला आत्मविश्वास से लैस और खुश है। वह अपने लिए कमा रही है और उसी परिवार के पास काम करती है जिसने उसे वक्त पर मदद दी थी।

सरकारी तंत्र, खासतौर से पुलिस को हरक़त में लाना काफ़ी मुश्किल था। जब मिथिला ने अदालत में अपना बयान दे दिया तभी जाकर उसको यह उम्मीद बंधी कि उसको न्याय मिल जाएगा। फिलहाल उसका मुकदमा निचली अदालत में विचाराधीन है। इस मुकदमे के अलग-अलग चरणों में उसके पुराने मालिक ने उससे समझौता करने की बार-बार कोशिशें की हैं, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह अदालत की मार्फ़त इंसाफ़ चाहती है।

...जज साहब ने मुझे कहा है कि मुझे मेरी तनख्वाह ज़रूर मिलेगी और वे लोग जेल भी जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग. ेगा। मुझे जज साहब पर भरोसा है। मैं इंतज़ार करूंगी और लड़ती रहूंगी।

क्या कारगर रहा–

» चौकस और हमदर्द पड़ोसी

» जागोरी का हस्तक्षेप तथा मालिक द्वारा डराने-धमकाने की कोशिशों का हिम्मत से मुकाबला करना

» मिथिला की अदम्य जिजीविषा/जीने की इच्छा

» न्यायपालिका का सकारात्मक रवैया

» आदिवासी महिला संगठन, जागोरी, पड़ोसियों और दिल्ली पुलिस के बीच नेटवर्किंग व गठबंधन

क्या कारगर नहीं रहा–

» आदिवासियों की मदद के लिए बनाए गए सरकारी संस्थान

» असंवेदनशील और गैर-मददगार पुलिस

आप इन कानूनों का इस्तेमाल कर सकती हैं –

» भारतीय संविधान की धारा 14 – कानून के समक्ष समानता का अधिकार

» भारतीय संविधान की धारा 21 – प्रतिष्ठापूर्वक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार

» भारतीय दंड संहिता की धारा 341 – अगर किसी व्यक्ति को बंद करके रखा जाता है या उसकी आवाजाही पर पाबंदी होती है।

» भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 319 और 320 – हत्या के प्रयास, साधारण या गंभीर चोट से संबंधित आपराधिक कानून।

» एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 (1) (6) – अगर किसी व्यक्ति को 'भीख मांगने' या बंधुआ मज़दूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है।

» भारतीय दंड संहिता की धारा 370 – अगर किसी व्यक्ति को 'खरीदा' जाता है या उसे गुलाम की तरह इस्तेमाल किया जाता है।

यह केस हिस्ट्री शीला में आए बदलावों की कहानी है। शीला बाल विवाह और वैवाहिक हिंसा की शिकार थी। उसने अपने हिंसा और उत्पीड़न भरे वैवाहिक रिश्ते को तोड़कर अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथों लेने का साहस दिखाया है। बाद में वह जागोरी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी जहां उसकी सरगर्मियों से उसमें नया उत्साह और आत्मविश्वास आया है। एक औरत और एक इंसान के रूप में उसने अपनी पहचान को नए सिरे से समझा है।

यह वृत्तांत इस बात का सबूत है कि हमारे कानूनों में किस तरह की खामियां हैं। यह वृत्तांत हिंदू विवाह अधिनियम की मुश्किलों को खासतौर से सामने लाता है। इस कानून में शादी को साबित करने के लिए सुबूत पेश करने की शर्त सवर्ण हिंदू विवाहों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका नतीजा ये होता है कि हाशियाई तबकों की महिलाओं के लिए इस कानून के तहत इंसाफ़ के लिए आवाज़ उठाना मुश्किल हो जाता है।

शीला का सफ़रनामा

शीला साढ़े चौदह साल की थी जब उसके मां-बाप ने उसको ब्याह दिया। उसके पति की उम्र उससे 13 साल ज़्यादा थी। शीला दिल्ली में पली-बढ़ी थी और आठवीं कक्षा तक स्कूल जा चुकी थी। शादी के बाद तीन साल शीला अपने मां-बाप के पास ही रही। जब वह 17 साल की हो गई तो उसे ससुराल भेज दिया गया। जब शीला अपने ससुराल पहुंची तो उसके सामने एक बहुत कठोर सच्चाई सामने आई जो उसके भौगोलिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विस्थापन के सदमे से भी ज़्यादा दुखद थी। उसका पति अक्षय मानसिक रूप से बीमार था। अक्षय के मां-बाप ने इस उम्मीद से अपने बेटे की शादी कर कर दी

"मेरे घरवालों ने मुझे लडक्कपन में ही ब्याह दिया था। मैं सदा दिल्ली में रही हूं लेकिन मुझे एक दुर्गम गांव में ब्याह दिया गया।"

हर बार सेक्स के बाद मैं बीमार पड़ जाती थी।

थी कि शायद ऐसे उनके बेटे की दिमागी हालत ठीक हो जाएगी। अक्षय अपनी बीवी से तो क्या किसी से भी बात नहीं कर सकता था, लेकिन वह शीला के साथ जबरन सेक्स ज़रूर करता था। फलस्वरूप एक समय के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि शीला को एक नर्सिंग होम में दाखिल कराना पड़ा, लेकिन यहां भी अपने बेटे का दृढ़ता से पक्ष लेते हुए अक्षय के मां-बाप ने शीला के सिर पर ही बीमारी का सारा जिम्मा डाल दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपने मां-बाप के घर से 'वही बीमारी लेकर' आई है।

जैसे-जैसे वक्त बीतता गया, हालात दिन पर दिन खराब ही होते गए। अक्षय का भाई भी उसे भद्दे इशारे करने लगा। शादी के महज साल भर के भीतर शीला गर्भवती हो गई। उसको बहुत देर तक प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ी, पूरे तीन दिन तक। इन हालात में भी उसके ससुराल वालों ने उसको सताना और परेशान करना नहीं छोड़ा। उसने लड़की को जन्म दिया। शीला के मुताबिक, "घर में मातम का माहौल था। मानो कोई मर गया हो। ये स्थिति तब थी जबकि अक्षय की अपनी 6 बहनें थीं, लेकिन मैं तो सदा बेटी ही चाहती थी। मैं खुश थी।"

अनीशा के पैदा होने के बाद शीला के साथ होने वाली ज़्यादतियां और बढ़ गईं। शीला को लगातार अपने जेठ की हरक़तों से अपना बचाव करना पड़ता था जो लगातार उसको भद्दे इशारे कर रहा था। "जब अनीशा 6 महीने की थी तो शीला ने अपने ससुराल वालों से आग्रह किया कि वे उसे कुछ समय के लिए उसके मायके भिजवा दें। इसके लिए न केवल

वो बहुत हिंसक था। वह अपनी मां-बहनों को भी पीटने से बाज़ नहीं आता था।

मेरा जेठ मुझे चिकोटी काटता, यहां–वहां छूता था। बहुत बार उसने मेरे ब्लाउज़ में भी हाथ डालने की कोशिश की।

उसके पति ने उसको जमकर पीटा, बल्कि उसके जेठ ने भी उसका शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया। शीला की ज़िद को देखते हुए आख़िरकार वे उसे पास के गांव में उसकी नानी के घर छोड़ आए। वहां पहुंचने के बाद तो शीला ने अपने ससुराल वालों के पास लौटने से ही इनकार कर दिया। पूरे परिवार ने उसे धमकियां दीं और उस पर दबाव डाला। यहां तक कि उन्होंने बेटी को चुराने का भी प्रयास किया। जैसे–तैसे शीला इन सारी मुश्किलों के बावजूद बच निकलने में कामयाब रही और दिल्ली लौट आई जहां वह दो साल तक अपने मां–बाप के साथ रहती रही। बहरहाल, रिश्तेदारों के हस्तक्षेप और पति द्वारा किसी तरह का उत्पीड़न न करने का आश्वासन मिलने के बाद शीला अपनी ससुराल लौट आई, लेकिन जैसे ही वह ससुराल वापस लौटी, हालात पहले जैसे हो गए। इस बार तो उसका उत्पीड़न और बढ़ गया था। जल्दी ही वह फिर भाग कर अपने मायके लौटने में कामयाब हो गई। उसके ससुराल वाले उसके लौटने के लिए दबाव बनाते रहे और इस बार उन्होंने शीला की बेटी को भी अगवा कर लिया। खैर, स्थानीय पुलिस की मदद से जैसे–तैसे शीला को अपनी बेटी वापस मिल गई।

काफ़ी सोच–विचार के बाद शीला ने जागोरी से संपर्क किया। वह इसी शर्त पर अपनी ससुराल वालों के साथ बातचीत करने को तैयार थी कि उसका पति दिल्ली में उसके साथ आकर रहे। अगर उसका पति यहां आकर उसके साथ रहने को तैयार हो तो ही वह एक बार फिर अपनी शादी को कायम रखने के लिए प्रयास कर सकती थी।

मैंने समझ लिया था कि मैं अपनी ससुराल में सुरक्षित नहीं हूं। वे बार–बार मुझे गांव के तालाब में डुबोने की धमकी देने लगे थे। मैंने वहां से भाग निकलने का फैसला कर लिया।

इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त दबाव था। यहां तक कि मेरे मां–बाप भी चाहते थे कि मैं वापस लौट जाऊं।

शीला के पति और ससुराल वालों ने इस शर्त को नामंजूर कर दिया और तब से वह अपने मां–बाप के साथ ही रह रही है। धीरे–धीरे वह जागोरी के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। वह खादर में युवक–युवतियों को संगठित करने और उनके सशक्तिकरण के प्रयासों में अहम भूमिका निभाने लगी है। अगले सात–आठ साल उसके सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण

साल थे। उसने एक बिल्कुल भिन्न अनुभव की दहलीज पर अपनी ज़िंदगी के एक नए चरण की शुरुआत की। उसने फ़ील्ड एनीमेटर के रूप में जागोरी के साथ काम शुरू किया। यहां आकर उसने बहुत सारी अधिकार आधारित कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों में हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों में उसे अपने हक़ों का पता चला और उसने तय किया कि वह अपने हक़ों को पा कर रहेगी।

परस्पर सहमति और गुजारे भत्ते की शर्त के आधार पर उसने तलाक की मांग की, जिसके जवाब में उसके पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत मुकदमा दायर कर दिया। उसके पति ने अदालत से मांग की कि वह उसके पास आकर रहे। शीला ने इस मुकदमे के खिलाफ़ एक स्टे ऑर्डर ले लिया।

शीला ने अपना स्त्री–धन वापस पाने के लिए केस दायर कर दिया है। हिंसा के साक्ष्यों के अभाव की वजह से उसके लिए धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज कराना बहुत मुश्किल साबित हुआ। तलाक पाने का उसका संघर्ष लगभग इसी समय शुरू हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम की

मेरे लिए तो उसके साथ रहने का खयाल भी डरावना लगता था फिर भी मैंने घरवालों के दबाव के सामने सिर झुका लिया था।

> मुझे अपने गांव में जाने बारे में सोच कर ही डर लगने लगता था। इसीलिए मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है कि इस मुकदमे को दिल्ली में चलाया जाए।

संरचना को देखते हुए उसके लिए अपनी शादी का सुबूत, फोटोग्राफ़, शादी का निमंत्रण पत्र आदि पेश करना ज़रूरी था। उसके पास इनमें से एक भी क़ानूनी दस्तावेज नहीं था। उसके पास अपनी शादी को साबित करने वाला एकमात्र दस्तावेज हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत उसके पति द्वारा दायर की गई याचिका ही था। शीला को जबरन थाने में कई काउंसलिंग सत्रों से गुजरना पड़ा, हालांकि उसके जहन में यह बात साफ़ थी कि उसे तलाक लेना है और वह अपना स्त्री-धन वापस चाहती है। आज शीला एक शक्तिशाली और हिम्मतवर महिला है और अपनी ज़िंदगी पर उसका नियंत्रण है हालांकि उसे खुद अपने परिवार के लोगों, खासतौर से अपने भाइयों की तरफ से काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ा है।

> भले ही मुझे अच्छी तरह पता था कि मुझे तलाक चाहिए, लेकिन हर कानूनी अधिकारी ने काउंसलिंग के लिए मुझे मजबूर किया।

क्या कारगर रहा–

- शीला की हिम्मत
- जागोरी के साथ उसका जुड़ाव और बाद में सक्रिय हिस्सेदारी
- मददगार मां-बाप और रिश्तेदार, जैसे उसकी नानी और चाचा

क्या कारगर नहीं रहा–

- एक दुखद विवाह को बनाए रखने की शीला की कोशिशें
- हिंदू विवाह अधिनियम और तलाक के लिए कानूनी ज़रूरतें
- कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कार्य प्रणाली

आप इन कानूनों का सहारा ले सकती हैं

» भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए : अगर किसी औरत का पति या उसके परिवार वाले दहेज या किसी और वजह से उसके साथ क्रूर बर्ताव करते हों।

» भारतीय दंड संहिता की धारा 406 : पति या ससुराल वालों से स्त्रीधन हासिल करने के लिए।

» महिला घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005

माला का सफ़रनामा

शादी कराने वाली वेबसाइट्स की बढ़ती तादाद और अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) विवाहों की बढ़ती संख्या ने उत्पीड़क विवाहों में फंसी औरतों के हालात और मुश्किल बना दिए हैं। एन.आर.आई. विवाहों में फंसी महिलाएं अपने प्रियजनों और सहायता व्यवस्था से दूर दूसरे देशों में होती हैं। इसलिए उनके सामने उत्पीड़न का खतरा और बढ़ जाता है। यह अतिरिक्त परेशानी उनकी एन.आर.आई. हैसियत की वजह से पैदा होती है जिसके चलते वे भारतीय कानूनों का सहारा भी नहीं ले पातीं। एफ़.आई.आर. दर्ज कराने से पहले क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल द्वारा अनिवार्य काउंसलिंग, हर 'तारीख' पर लड़की की मौजूदगी और न्याय–क्षेत्र जैसे मुद्दे एन.आर.आई. विवाहों में हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के सामने आने वाली बहुत सारी मुश्किलों में से कुछ मुश्किलें हैं।

आगे हमने जो केस स्टडी दी है उसमें ऐसी महिलाओं के सामने आने वाली बहुत सारी कठिनाईयों की झलक मिलती है जो तेजी से फैल रही वैवाहिक वेबसाइट्स के ज़रिए या अन्य माध्यमों से शादी के लिए एन.आर.आई. लड़कों को पसंद कर लेती हैं।

मंजुला के पति का शादी के कुछ समय बाद ही देहांत हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी माला को अपने बूते पर पाल–पोस कर बड़ा किया। जब माला को ऑस्ट्रेलिया में नौकरी मिली और वह वहीं बस गई तो मंजुला और उनका छोटा बेटा भी माला के पास जाकर रहने लगे। शादी.कॉम नामक वेबसाइट पर एक वैवाहिक विज्ञापन देख कर मंजुला ने माला के लिए एक लड़का तय किया। माला का होने वाला एन.आर. आई. पति ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। उसके मां–बाप और भाई–बहन

> मंजुला ने बताया कि "मेरा ाक बढ़ गया तो मैंने जागोरी से संपर्क किया। मुझे यकीन था कि ये लोग मेरी बेटी तक ज़रूर पहुंच जाएंगे।"

भी वहीं थे। माला और उसके होने वाले दूल्हे, दोनों के रिश्तेदार भारत में थे। इसलिए उन्होंने भारत में आकर ही शादी की। शादी के कुछ समय बाद ही माला अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया लौट गई जहां उसके साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का एक सिलसिला शुरू हुआ।

शादी के कुछ समय बाद ही माला ने फोन पर मंजुला को बताया कि उसके साथ उसका पति किस तरह का क्रूर बर्ताव करने लगा है। वह न केवल उसके साथ मारपीट करता था, किसी दूसरी औरत के साथ संबंध भी बनाए हुए था। अगले कई दिन तक जब भी माला की मां ने उससे बात करने की कोशिश की तो माला के ससुराल के दूसरे लोगों ने ही फोन उठाया। वे हर बार यही कहकर फोन काट देते कि माला घर पर नहीं है या बाज़ार गई है या डाक्टर के पास गई है आदि।

तब माला की मां ने जागोरी से संपर्क किया और कहा कि हम माला के साथ संपर्क स्थापित करें। जब जागोरी की टीम ने प्रयास किया तो माला की सास ने हमें भी यही कहा कि माला गले की जांच कराने के लिए एक मेडिकल सेंटर में गई है! जागोरी की टीम को माला की सास के इस बयान में शक की बू आ रही थी। इसके बाद टीम ने मेलबोर्न के एक महिला संगठन से मदद मांगी और उनसे निवेदन किया कि वे माला की मदद करें। जब माला से संपर्क स्थापित हुआ तो वहां के महिला संगठन ने पाया कि माला को घर से निकाल दिया गया था। फिर भी माला ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। मेलबोर्न के महिला संगठन ने इस मसले को ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस के समक्ष उठाया। इसके बाद पुलिस वालों ने माला का पासपोर्ट, वीजा और बैंक के कागजात भी अपने कब्जे में ले लिए। पुलिस ने भारतीय दूतावास को भी इस घटना के बारे में जानकारी दे दी।

मंजुला के मुताबिक, "इसमें कोई शक नहीं कि माला के पति और उसके ससुरवदार घरवालों ने जांच अधिकारियों के साथ अपने ताल्लुकात का भी खुलकर इस्तेमाल किया है।"

मंजुला का कहना है कि “सीएडब्ल्यू, जो कायदे में महिलाओं के प्रति हमदर्दी के रवैये पर आध. ।रित है, उसमें भी महिलाओं के साथ बहुत चलताऊ रवैया अपनाया जाता है। ये कानून भी सिर्फ़ मर्दों की फ़िक्र करता है।”

माला अपने पति के घर से निकल कर अपनी एक सहेली के पास रह रही थी। ऑस्ट्रेलियाई क़ानून के तहत अगर कोई औरत एक साल तक अपने पति से अलग रह चुकी हो तो वह तलाक के लिए अदालत में अपील कर सकती है, लेकिन माला ने तय किया कि वह भारत में मुकदमा लड़ेगी। भारत आने पर माला जागोरी की टीम से सलाह–मशविरे के लिए मिलने आई। मंजुला ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में दहेज के तौर पर गहने, नकदी और बहुत सारे तोहफे दिए थे। माला अपने पति और ससुराल वालों के हाथों अपने साथ हुई शारीरिक और मानसिक .ज्यादतियों के बदले में सजा के तौर पर अपना सारा सामान वापस पाना चाहती थी।

अपनी मां के नाम पॉवर ऑफ़ अटार्नी लिख कर माला ऑस्ट्रेलिया लौट गई, ताकि मंजुला उसकी ओर से मुनासिब कार्रवाई कर सकें। क्राइम अगेंस्ट विमेन (ब्ॉ) सेल ने ये दलील देते हुए मंजुला की एफ.आई.आर. दर्ज करने से इनकार कर दिया कि ये तो ‘प्रेम विवाह’ था जिसमें कोई दहेज नहीं दिया गया था। माला ने अपने पति के खिलाफ़ हिंसा की कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई थी, इसलिए भी उसका केस कमजोर हो गया था!

मंजुला ने हिम्मत नहीं हारी और वह एफ़आई.आर. दर्ज कराने के लिए यहां से वहां चक्कर लगाती रहीं। (ब्ॉ) सेल ने कुछ समय के लिए इस मामले की जांच भी बंद कर दी। सेल में तैनात महिला अधिकारियों ने कहा कि अगर मामले को आगे बढ़ाना है तो माला या उसके पति को उपस्थित रहना होगा। मंजुला ने सी.आर.पी.सी. की धारा 156(3) के तहत अदालत में अर्जी दायर की और गुजारिश की कि अदालत पुलिस को मामले की

जांच जारी रखने का निर्देश दे। फलस्वरूप पुलिस को आखिरकार एफ.आई. आर. दर्ज करनी पड़ी।

इस सारी कार्रवाई से माला के पति और उसके घरवालों पर कोई असर नहीं पड़ा था। उन्होंने एक बार फिर शादी.कॉम पर इश्तहार देकर माला के पति के लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इस बीच उन्होंने खूब तड़क-भड़क के साथ अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दी है। उनकी ज़िंदगी सहज रूप से चल रही है। जो पीड़ित हैं वे मझदार में हैं।

अपने रास्ते में आयी अनगिनत मुश्किलों के बावजूद माला की मां हिम्मत हारने को तैयार नहीं हैं। वह इंसाफ़ पाने के लिए आख़िरी हद तक लड़ने को तैयार हैं। मंजुला को यहां से वहां धक्के खाते हुए एक साल होने वाला है और अभी उन्हें न्याय नहीं मिला है।

क्या कारगर रहा–

- जागोरी द्वारा हस्तक्षेप, माला के ससुराल वालों से समय पर जागोरी द्वारा की गई बातचीत जिससे माला की सुरक्षा के लिए कोशिशों का सिलसिला शुरू हुआ
- महिला संगठनों की एकजुटता; मेलबोर्न के महिला संगठन का हस्तक्षेप
- ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस द्वारा फौरन कार्रवाई
- पुलिस और (ब्ॉ) सेल पर दबाव बनाए रखने का मंजुला का पक्का इरादा

क्या कारगर नहीं रहा–

» भारत और ऑस्ट्रेलिया का फासला

» क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल की ओर से गैर–मददगार और षत्रुपूर्ण रवैया

आप इन कानूनों का इस्तेमाल कर सकती हैं–

- भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए : अगर किसी औरत का पति या उसके परिवार वाले दहेज या किसी और वजह से उसके साथ क्रूर बर्ताव करते हों।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 406 : पति या ससुराल वालों से स्त्री–धन हासिल करने के लिए।

अपनी मर्जी से अपना/अपनी जोड़ीदार चुनने का अधिकार एक विवादास्पद मसला है। नाना प्रकार की ताकतें अलग-अलग स्तरों पर इस अधिकार का विरोध करती रही हैं। परिवार, समुदाय, समाज, कोई इसको आसानी से पसंद नहीं करता। सामाजिक 'प्रतिष्ठा' का सवाल शादी और जाति, धर्म, वर्ग व क्षेत्र जैसे सवालों के साथ गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर कोई इन मान्यताओं और दायरों के पार जाने की कोशिश करता/करती है तो उसको सख़्त सजा झेलनी पड़ सकती है, यहां तक कि उसे मौत का भी सामना करना पड़ सकता है।

लोगों को अपनी मर्जी से अपना/अपनी जोड़ीदार चुनने से रोकने के लिए हिंसा का इस्तेमाल एक ऐसा औजार बन गया है जिसको न केवल अंतर्जातीय विवाहों के खिलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि उन विवाहों में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है जो वर्ग, धर्म और यहां तक कि राज्य और क्षेत्र के 'नियमों' की अवहेलना करते हैं। इसके अलावा कुछ खास समुदायों और पहचानों के खिलाफ़ बने पूर्वाग्रह भी मां-बाप को अपनी बेटियों और बेटों के साथ हिंसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर भी ऊंची जातियों के लड़कों को निम्न जाति की लड़की से शादी करने की 'छूट' कभी-कभार मिल जाती है। यह 'कृपा' मौजूदा पितृसत्तात्मक मूल्यों और इस आम धारणा से पैदा हुई है कि एक औरत की अपनी कोई पहचान नहीं होती – उसकी पहचान तो उसी परिवार से तय होती है जिसमें वह ब्याह कर जाती है।

ये भी एक आम बात है कि यद्यपि कुछ परिवार उच्च अध्ययन आदि के लिए अपनी बेटियों को घर से दूर – अनजाने स्थानों – तक जाने की छूट तो दे देते हैं, लेकिन वे इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि वह अपनी मर्जी से अपने जोड़ीदार के साथ रहे। जाहिर है कि शैक्षिक डिग्री को काफी तवज्जो दी जाती है; आखिरकार इसी के सहारे तो लड़की को एक काबिल और अच्छा दूल्हा मिल पाएगा!

हाल के समय में जागोरी के पास ऐसे लड़कियों और लड़कों की हत्याओं की असंख्य रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ये सभी हत्याकांड परिवार और समुदाय की 'इज्जत' बचाने के नाम पर अंजाम दिए गए हैं। यहां तक कि परोक्ष रूप से 'आधुनिक' शहरी परिवार भी 'इज़्ज़त' के नाम पर अपने बेटे/बेटियों की जान लेने से बाज नहीं आते।

यहां हमने जिस कहानी का ब्यौरा दिया है उस पर खासतौर से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कहानी हिंसा और सामाजिक दबावों के उन विभिन्न आयामों को सामने रखती है, जिनसे महिलाओं और पुरुषों को अपना/अपनी जीवनसाथी चुनने के अधिकार की रक्षा के लिए अकसर जूझना पड़ता है – पितृसत्ता, जाति/समुदाय पर आधारित इज्ज़त की सोच, पारिवारिक और सामाजिक दबाव, पुलिस व प्रशासन की रूढ़िवादी, पितृसत्तात्मक सोच, डराना-धमकाना और दहशत आदि। जाति/समुदाय की इज्ज़त के नाम पर लड़कियों और लड़कों, दोनों को जिस तरह से मारा जा रहा है, उन हालात को देखते हुए यह केस इस बात को खासतौर से सामने लाता है कि परिवारों और समुदायों पर इन पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी गहरी है। गौरतलब है कि ये पूर्वाग्रह 'आधुनिक' महानगरीय शहरों में भी खूब फल-फूल रहे हैं।

अपने अंतर्जातीय विवाह की इच्छा को मनवाने के लिए मीना और मोहित ने परिवार और समुदाय की ओर से तमाम मुश्किलों का सामना किया; तब जाकर मीना के घर वाले इस शादी के लिए राजी हुए। हाल के समय में जाति/समुदाय की इज्ज़त के नाम पर लड़कियों और लड़कों, दोनों को जिस तरह से मारा गया है, उन हालात को देखते हुए यह केस इस बात की तस्दीक करता है कि परिवारों और समुदायों पर इन पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी गहरी है। गौरतलब है कि ये पूर्वाग्रह केवल गांव देहात में ही नहीं, बल्कि 'आधुनिक' महानगरीय शहरों में भी खूब फल-फूल रहे हैं।

मीना और मोहित ने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे कई चीजों को सामने ला देते हैं – पितृसत्ता, जाति/समुदाय पर आधारित इज्ज़त की सोच, पारिवारिक और सामाजिक दबाव, पुलिस व प्रशासन की रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक सोच, डराना-धमकाना, दहशत तथा महिला संगठनों का हस्तक्षेप – ये सभी पहलू अपना/अपनी जोड़ीदार चुनने के अधिकार को किसी न किसी तरह प्रभावित करते हैं।

मीना का सफ़रनामा

मीना और मोहित (दोनों की उम्र 24 वर्ष) अलग-अलग जातियों से हैं। मीना हरियाणा की एक सवर्ण जाति से है और मोहित आंध्र प्रदेश की एक

"इस रास्ते पर चलते हुए मुझे तरह-तरह के दबावों का सामना करना पड़ा और मैंने इन मसलों पर अपने घरवालों पर बात करने का प्रयास भी किया।"

पिछड़ी जाति का है, लेकिन ये दोनों युवा बचपन से ही दिल्ली में रहे हैं। मीना के पिता सेना में थे जबकि मोहित के पिता प्रसार भारती में काम करते हैं। दोनों की माएं गृहिणी हैं।

मीना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से सोशल वर्क में स्नातक की डिग्री ली थी और वह अच्छी विद्यार्थी थी। अपने परिवार में वह पहली लड़की थी जिसने इस दर्जे की डिग्री हासिल की थी। रोहतक, हरियाणा में अपने व्यापक परिवार के साथ मीना के संबंध बहुत नियमित नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके मां-बाप पर इन संबंधों का खासा असर था। उसकी दसवीं की परीक्षा के बाद से ही उस पर शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा था। वह बताती है, "उस वक्त मेरे पिता ने इन सुझावों को नहीं माना, क्योंकि मैं पढ़ने में तेज थी।"

वास्तव में उसके मां-बाप ने उसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एम.ए. की पढ़ाई करने और हॉस्टल में रहने की इजाज़त भी दे दी थी। 2008 में मीना ने दिल्ली में एक संस्था में प्रॉजेक्ट मैनेजर के पद पर नौकरी कर ली। इसी नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात मोहित से हुई जो एक अन्य संस्था में प्रोजेक्ट मैनेजर था। मीना के मुताबिक, "हम दोस्त बन गए"।

मोहित का परिवार उदारवादी सोच वाला है। उसके मां-बाप चाहते थे कि वह अपनी मर्जी से अपनी पत्नी चुने। जैसे-जैसे इन दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई, मोहित ने मीना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मीना

इस तरह मैं अपने परिवार और समुदाय में एक तरह की रोल मॉडल बन गई थी।

तब मुझे पहली बार ये अहसास हुआ कि मेरी ये धारणा कितनी गलत थी कि मेरे मां–बाप बहुत खुले विचारों वाले हैं – मीना।

तैयार तो थी, लेकिन उसके मां–बाप ने अंतर्जातीय विवाह के लिए साफ़ इनकार कर दिया। ये पहला मौका था जब मीना ने इस बात को जाना कि उसके चाचा–ताऊ और गांव के बड़े–बूढ़ों का उसके मां–बाप पर कितना गहरा असर और दबाव था।

हरियाणा में रहने वाले मीना के मां–बाप और उसके कुनबे के लोग उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। जब उसने इन कोशिशों का विरोध करना चाहा तो किसी ने उसकी एक न सुनी। जब उसके भाई ने उसके साथ मारपीट की तब भी किसी को उस पर रहम नहीं आया। इस चौतरफ़ा दबाव और उपेक्षा के हालात में मीना ने घर छोड़ दिया और चुपके से एक मंदिर में जाकर मोहित से शादी कर ली। मीना के घर वालों की तरफ से होने वाली कार्रवाइयों के अंदेशे को देखते हुए नवदंपत्ति चुपचाप राजस्थान चले गए जहां वे एक ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टल में ठहरे।

जब मीना ने अपने घर फोन किया और उनको बताया कि उसने मोहित से शादी कर ली है तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसके साथ भावनात्मक ब्लैकमेलिंग की गई ताकि वह घर लौट आए। उसको ये कहा गया कि उसकी मां को दिल का दौरा पड़ा है और वह अपनी बेटी से मिलने को बेताब है। इस दबाव के चलते वे दोनों दिल्ली लौट आए। इस दौरान उन्होंने एक वकील की मार्फ़त मीना के पिता से कानूनी हलफ़नामे पर दस्तख़त भी करवा लिए थे जिसमें ये कहा गया था कि अपनी मां से मिलने के बाद मीना फिर मोहित के पास लौट आएगी।

बाद में मुझे समझ में आया कि सही कानूनी जानकारी हासिल करना कितना महत्वपूर्ण है – मीना।

मैं बहुत चिंतित थी। मुझे अंदाजा था कि कुछ न कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है – मीना।

शुरू में मीना के माता-पिता ने कहा था कि वे इस शादी को मंजूर कर लेंगे, लेकिन जल्दी ही वे तलाक के लिए दबाव डालने लगे। पूरा परिवार मीना को गांव ले जाने की धमकियां देने लगा। उन्होंने उसकी आवाजाही पर पाबंदियां लगा दीं, उसका मोबाइल छीन लिया और मोहित के साथ उसका हर तरह का संपर्क काट दिया।

इधर मोहित इन सारी बातों से अनजान था, क्योंकि उसकी मीना से कोई बात नहीं हो पा रही थी। यूं समझिए कि तकदीर मीना के साथ थी कि घर में ही एक दिन एक मोबाइल उसके हाथ लग गया और उसने मोहित को एस.एम.एस. भेज दिया जिसमें उसने अपनी जान पर ख़तरे का जिक्र किया था। यह संदेश मिलने पर मोहित का बेचैन हो जाना स्वाभाविक था। उसने जागोरी से संपर्क किया।

इसके बाद जागोरी की टीम ने बचाव प्रयासों में मदद के लिए स्थानीय थाने में जाकर बात की। हालांकि एस.एच.ओ. ने मदद करने से इनकार नहीं किया (उसको मालूम था कि डी.सी.पी. और ए.सी.पी. भी इस केस के बारे में जानते हैं) लेकिन वह मदद करने को बहुत इच्छुक भी नहीं था। उसने जागोरी की टीम से साफ कहा कि वह निजी तौर पर इस तरह के संबंधों को सही नहीं मानता है।

अगर मेरी बहन ने ऐसी हरक़त की होती तो मैं उसके टुकड़े-टुकड़े करके नहर में बहा देता, लेकिन अब तो मेरे कानून से बंधे हुए हैं। इसलिए मैं आपके हुक्म के मुताबिक चलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता – एस.एच.ओ.।

मैं दुविधा में थी। एक तरफ़ तो मेरी मां दहाड़ें मार-मार कर रो रही थी और दूसरी तरफ़ मेरी पसंद की ज़िंदगी थी। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी और मैंने अपने मां-बाप को एक और मौका देने का फैसला कर लिया – मीना।

जागोरी की टीम की तरफ से लगातार आग्रह और दबाव के बाद आखिरकार मीना की तलाश शुरू हुई और एक पुलिस टीम को मीना को बरामद करने के लिए उसके गांव रवाना कर दिया गया। जैसे ही ये टीम वहां पहुंची गांव वाले पुलिस की टीम पर पथराव करने लगे। लोगों ने मीना के घर का पता बताने से इनकार कर दिया। इत्तेफ़ाक से इस टीम को मीना के घर का पता चल गया। जब वे घर में घुसे तो उन्होंने पाया कि मीना को एक कमरे में बंद करके रखा गया था और वह मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी थी। जागोरी की टीम ने उससे बात की तो उसने बताया कि वह अपने मायके से किसी भी तरह निकलना चाहती है। इसके बाद मीना को स्थानीय थाने में ले जाया गया जहां उसका पूरा कुनबा जमा हो गया। थाने में एक ज़बदरस्त जज्बाती ड्रामा शुरू हुआ और उसके भाई उसके पैरों पर गिरने लगे। मां की चीख-पुकार भी थमने का नाम न लेती थी। इधर पुलिस वाले न केवल खामोश खड़े थे, बल्कि तकरीबन दुश्मनी तेवर अपनाए हुए थे। मीना एक भावनात्मक जाल में कैद थी और आखिरकार वह अपने मां-बाप को एक और मौका देने को तैयार हो गई। जागोरी की तरफ से बार-बार के हस्तक्षेपों और लगातार दबाव के बाद जाकर परिवार ने अपनी जिद छोड़ी और आखिरकार मोहित और मीना की शादी अपने रीति-रिवाज़ और परंपराओं के हिसाब से करा दी। मीना के गांव से उसके कुनबे वालों ने भी शादी में हिस्सा लिया, लेकिन उनको यह जानकारी नहीं दी गई थी कि मीना का पति दूसरी जाति से है।

अब ये जोड़ा एक अन्य शहर में जाकर बस गया है। मीना के पास अच्छी नौकरी है। ये दोनों लगातार जागोरी के संपर्क में हैं और इज्ज़त के नाम पर हो रही हत्याओं के खिलाफ़ अभियान में सक्रिय हैं।

क्या कारगर रहा–

- लड़के और लड़की का साहस, खासतौर से मीना की हिम्मत
- जागोरी का हस्तक्षेप
- आला पुलिस अधिकारियों द्वारा वाजिब मदद
- लड़की को बचाने के लिए की गई तीव्र और नियोजित कार्रवाई
- स्थानीय पुलिस व परिवार पर लगातार दबाव

क्या कारगर नहीं रहा–

» मीना की दुविधा जिसने उसे अपने परिवार के हाथों हिंसा के खतरे में पहुंचा दिया था

» पुलिस की असंवेदनशीलता जिसकी वजह से मीना के सामने एक भावनात्मक सदमे के हालात पैदा हुए

» विधि व्यवस्था का पितृसत्तात्मक रवैया

» युवाओं में कानूनी ज्ञान का अभाव

आप जिन कानूनों का इस्तेमाल कर सकती हैं–

- भारतीय संविधान की धारा 14 – कानून के समक्ष समानता का अधिकार
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 – सम्मानपूर्वक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार
- भारतीय दंड संहिता की धारा 341 – अगर किसी व्यक्ति को कैद करके रखा जाता है या उसकी आवाजाही पर अंकुश लगाया जाता है
- भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 319 और 320 – हत्या का प्रयास, साधारण व गंभीर चोट से संबंधित आपराधिक कानून
- विशेष विवाह अधिनियम 1954 – अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता देता है
- हिंदू विवाह अधिनियम 1956 – किसी भी जाति का वयस्क पुरुष और एक वयस्क स्त्री किसी भी पंजीकृत आर्य समाज मंदिर में शादी कर सकते हैं और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 18 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते हैं।
- मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 – एक वयस्क मुस्लिम पुरुष और महिला किसी भी पंजीकृत काज़ी के समक्ष निकाह कर सकते हैं और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 18 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते हैं।

यह वृत्तांत कई कारणों से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है–आयशा के व्यक्तित्व में आया रूपांतरण। जेंडर आधारित हिंसा व उत्पीड़न (निजी और सार्वजनिक, दोनों तरह के स्थानों पर) से लेकर सरकारी स्थानों, ख़ासतौर से थानों में महिलाओं को जो सदमे के अनुभव मिलते हैं उन सबको दर्शाते हुए यह विवरण पितृसत्ता के चौतरफ़ा शिकंजे को सामने लाता है। यह घटना मर्दानगी और नैतिकता के दमघोंटू विचारों और घर–बाहर, हर जगह इसको चुनौती देने की ज़रूरत को रेखांकित करती है।

आयशा के साथ जब उसी के जोड़ीदार ने क्रूरता और हिंसा की, जब पुलिस और आयशा के मालिकों ने उसके प्रति गैर–संवेदनशील रवैया अपनाया तो आयशा के पिता ने जिस तरह अपनी बेटी को डटकर हौसला दिया वह वाकई प्रेरणास्पद और काबिले–तारीफ बात है। इस पूरे ब्यौरे में इस बात के असंख्य मौके हैं जहां पिता–पुत्री, दोनों ने जागोरी की मदद से पितृसत्ता की सत्ता संरचनाओं (सामाजिक व प्रशासनिक) से लोहा लिया है।

ये तजुर्बा धर्म, क्षेत्र तथा नैतिकता, विवाह, यौनिकता व प्रेम के 'स्वीकृत' विचारों में भिन्नता से पैदा होने वाले पूर्वाग्रहों की बहुत सारी परतों के बीच फंसा हुआ है। ये घटना इस बात की तस्दीक करती है कि पितृसत्तात्मक मूल्यों को मानने के लिए सामाजिक कायदे–कानूनों और दबावों के चलते महिलाएं अकसर आज़ाद होने से पहले बहुत सब्र के साथ उत्पीड़न और उत्पीड़क जोड़ीदारों को झेलती चली जाती हैं।

आयशा का सफ़रनामा

आयशा और रमन की उम्र 25 से 30 के बीच थी और वे दोनों दिल्ली की एक आईटी कंपनी में साथ–साथ काम कर रहे थे। यहीं उन दोनों के बीच अंतरंग संबंध विकसित हुए। आयशा के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, जबकि रमन एक संपन्न जमींदार परिवार से था। दोनों युवा अलग क्षेत्रों, अलग धर्मों और अलग जाति से थे। रमन ने आयशा को भरोसा दिलाया था कि ये ताल्लुकात शादी में तब्दील हो जाएंगे।

"उसने मुझे कहा कि वह मेरे बिना नहीं जी सकता, लेकिन विडंबना यह थी कि जब कंपनी ने उसके सामने अमेरिका जाने का प्रस्ताव रखा तो वह जाने को फौरन तैयार हो गया।"

सामाजिक हालात को देखते हुए आयशा के लिए ये भरोसा बहुत जरूरी था, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के साथ यौन संबंध बना चुके थे।

आयशा अपने कॉलेज की टॉपर थी। उसके सहकर्मियों और मालिकों की राय में वह एक काबिल, होनहार युवती थी। उसको नौकरी के सिलसिले में प्रशिक्षण के लिए अमेरिका जाने के लिए भी चुन लिया गया था, लेकिन रमन उसे अमेरिका न जाने के लिए समझाता रहा। विडंबना यह है कि जब यही प्रस्ताव रमन को मिला तो वह फौरन जाने को तैयार हो गया। उसने दलील दी कि शादी से पहले आत्मनिर्भरता के लिहाज से ये प्रस्ताव अच्छा है। इसी बीच आयशा को पता चला कि वह गर्भवती है। रमन ने कहा कि वह गर्भपात करा ले, जबकि डाक्टर ने सलाह दी थी कि गर्भपात उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आयशा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अकेले जाकर गर्भपात करा लिया। गर्भपात के बाद जब उसकी सेहत गिरने लगी तो रमन इस बात के लिए दबाव डालने लगा कि वह अमेरिका आकर उसके साथ रहे। आयशा के लिए तीन महीने का यह वॉशिंगटन प्रवास किसी नर्क से कम नहीं था। उसके साथ उत्पीड़न और बदसलूकी न केवल जारी रही, बल्कि बढ़ गई। जनवरी में जाड़ों की एक रात को जब वॉशिंगटन बर्फ़ की चादर से ढंका हुआ था, रमन ने उसे घर से निकाल दिया। आयशा ठिठुरती हुई बाहर खड़ी रही। रमन ने तब जाकर उसे घर में वापिस लिया, जब वह बेहोश गिर पड़ी। रमन ने आयशा का पासपोर्ट अपने कब्जे में रखा हुआ था और उसने धमकी दी थी कि अगर वह

"डॉक्टरों ने मुझे कहा कि रक्तस्राव की वजह से मुझे सेक्स नहीं करना चाहिए। उसने मुझे जबरन गर्भनिरोधक गोलियां खिलाईं और मेरे साथ सेक्स किया।"

उसके ख़िलाफ़ किसी से भी शिकायत करेगी तो वह उसके कागजात जला देगा। आयशा की ये यातना तब ख़त्म हुई जब रमन का प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ और कंपनी ने उन दोनों को भारत लौटने का हुक्म दिया।

भारत लौटने के कुछ दिन बाद जब आयशा ने फिर शादी का मसला उठाया तो रमन आयशा से कन्नी काटने लगा। जब आयशा के घरवालों की तरफ से शादी के लिए दबाव बढ़ा तो उसने अपने पिता को रमन के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में बता दिया।

आयशा के पिता को ये जानकर बहुत झटका लगा, लेकिन फिर भी वह रमन से मिलने को तैयार हो गए। जब आयशा के पिता रमन से मिले तो उसने आयशा के पिता को बताया कि वह धर्म के आधार पर अपने मां–बाप के विरोध के कारण आयशा से शादी करने में 'असमर्थ' है। बाप–बेटी, दोनों पर जैसे बिजली टूट पड़ी। उन्होंने रमन को चेतावनी दी कि वह पुलिस में उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराएंगे। रात भर चले झगड़े के बाद रमन ने आयशा और उसके पिता को एक कमरे में बंद कर दिया और ताला लगाकर रफ़ूचक्कर हो गया। अभी और आफत तो आने वाली थी। रमन के मां–बाप ने आयशा पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने ही रमन को अगवा कर लिया है।

यहां से पुलिस के हाथों आयशा के साथ अत्याचारों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। एफ.आई.आर. दर्ज कराने की हर कोशिश के जवाब में उसे अपमानजनक फब्तियां, घटिया फ़िकरे और एफ.आई.आर. के बारे में इनकार सुनने को मिला। वह रमन के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने के लिए दर–दर के धक्के खाने लगी, लेकिन हर बार उसका सामना एक गहरे पूर्वाग्रह से हुआ। वह पूर्वोत्तर के एक खास समुदाय की लड़की थी इसलिए ये पूर्वाग्रह बहुत सख़्त थे। उस पर सारे दरवाजे बंद कर दिए गए तो आयशा ने मदद के लिए जागोरी से संपर्क किया। पूरे हालात सुनने के बाद जागोरी की टीम ने इस सिलसिले में डी.सी.पी. से हस्तक्षेप

मेरे पिता ने जिस तरह डट कर मेरा साथ दिया है वही मेरे लिए ताकत का स्रोत है – आयशा।

"थाने का हर चक्कर मेरा लिए एक सदमा होता था। वे हर बार मेरे 'चरित्र' के बारे में फब्तियां कसते थे।"

करने का आग्रह किया। काफी दबाव के बाद आखिरकार पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज कर ली।

एक निजी वकील और जागोरी की मदद से आयशा ने खुद अपने मुकदमे पर काम किया। ये उसके सफ़र का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस बिंदु पर उसने खुद को नाउम्मीदी और तबाही की मनोदशा से खींचकर अपने दम पर आगे बढ़ने का साहस जुटाया। जब पुलिस पर दबाव बढ़ा तो रमन ने जिला अदालत में जमानत के लिए अर्जी दे दी। स्वेच्छा से आयशा की मदद कर रहे युवा वकीलों की एक टीम की मदद से उसकी ये अर्जी ख़ारिज कर दी गई। इसके बाद रमन उच्च न्यायालय गया। यहां भी आयशा को देश के एक बेहतरीन फौजदारी वकील की तरफ से निशुल्क मदद मिली। रमन अभी भी फरार है और पुलिस ने आयशा की तरफ से चार्जशीट दाखिल नहीं की है।

इसी दौरान दफ्तर से गैरहाज़िरी का हवाला देकर उस कंपनी ने भी आयशा को नौकरी से निकाल दिया जहां वह अभी तक काम कर रही थी। ऊपर से कंपनी ने उसे तीन लाख रुपये का जुर्माना जमा कराने का नोटिस भी थमा दिया जो 'बाँड मनी' के तौर पर उसे जमा कराना था। एक बार फिर उसने जागोरी से मदद मांगी। हमने अमेरिका और भारत स्थित कंपनी के आला अफसरों को सौम्य भाषा में एक ई-मेल लिखा और उन्हें बताया कि आयशा के साथ उनका व्यवहार यौन उत्पीड़न के बराबर है। इस बात का वाज़िब असर हुआ। कंपनी का एक मैनेजर फौरन जागोरी की टीम से मिलने आया और उन्होंने आयशा को वापस नौकरी पर रख लिया,

मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास बेहतरीन वकीलों की एक टीम है। मैं इस लड़ाई को पूरी तरह जी रही हूं!

पर इस बार उन्होंने उसे पहले वाले ओहदे से एक पद नीचे तैनात किया है। कंपनी ने आयशा की तनख्वाह भी रोक ली है उसके जो वेतन भत्ते बकाया थे वे भी अदा नहीं किए हैं।

इन हालात को देखते हुए आयशा ने अपने आला अफसरों को एक मेल भेजा, जिसमें उन्होंने भारतीय प्रबंधकों पर आरोप लगाया कि वे रमन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी ने उसको कहा कि अगर वह जागोरी से अपने संबंध तोड़ ले और अगर तीन महीने में वह 'अप-टू-मार्क' पायी जाती है तो उसको पहले वाले पद पर तैनात कर दिया जाएगा। आयशा ने सख़्त लगन, धीरज और सहनशीलता से ये इम्तहान भी पास कर लिया है। कंपनी ने फिर से उसे पहले वाले वरिष्ठ पद पर तैनात कर दिया है।

रमन के खिलाफ़ अदालत में मुकदमा अभी भी जारी है, लेकिन अब आयशा एक बदली हुई महिला है। न्याय के लिए वह इस केस को आख़िरी मुकाम तक लड़ना चाहती है।

"हाल ही में किसी ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि रमन मुझसे ादी के लिए तैयार है। मै. ंने जवाब दिया कि उसको जाकर बता दो कि वो मेरे काबिल नहीं है।"

क्या कारगर रहा–

- आयशा के पिता द्वारा अपनी बेटी को दी गई बेमिसाल मदद; अपनी बेटी को इंसाफ़ दिलाने के लिए समाज के तमाम 'खंभों' – पुलिस, अदालत, कार्यस्थल, समुदाय – सबसे लोहा लेने की उनकी हिम्मत और संकल्प।
- आयशा का कायापलट जिसके चलते वह शादी के लिए अपने जोड़ीदार और शादी को मनवाने के लिए समाज पर निर्भर लाचार लड़की की जगह खुद अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी की राह बनाने वाली महिला बनी है। अब वो ये नहीं मानती कि औरत के लिए सिर्फ 'शादी' ही एकमात्र स्वीकार्य नियति है। अब वह अपनी ज़िंदगी की मालिक है।
- आयशा और उसके पिता को जागोरी की तरफ से दी गई लगातार मदद और हस्तक्षेप जिसके चलते अब उन्होंने जागोरी की तरफ से इस केस पर काम कर रही साथियों के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बना लिया है।

क्या कारगर नहीं रहा–

» महिला अधिकारों के बारे सूचनाओं का अभाव

» खास धर्मों और समुदायों के प्रति विधि क्रियान्वयन एजेंसियों की पूर्वाग्रहपूर्ण मनोदशा

आप इन कानूनों का इस्तेमाल कर सकती हैं–

- भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 – अगर शादी का वायदा करके यौन संबंधों के लिए सहमति हासिल की जाती है तो शादी का वायदा तोड़ देने की स्थिति में इस सहमति को 'सहमति' नहीं माना जाएगा और यह एक दंडनीय अपराध होगा।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 503 और 506 – अफरातफ़री फैलाने के मकसद से किसी व्यक्ति को डराना-धमकाना या उसको बदनाम करना एक दंडनीय अपराध है।
- विशाखा गाइडलाइन्स – महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के संबंध में और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक असुरक्षित वातावरण रचने के बारे में।

नारीवादी काउंसलिंग के प्रीभा

नारीवादी काउंसलिंग हिंसा से जूझ रही महिलाओं के साथ काम करने का एक तरीका है। नारीवादी काउंसलिंग इस मान्यता पर आधारित है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा पितृसत्तात्मक संस्थानों व संरचनाओं का परिणाम है। राजनीतिक और वैचारिक दृ□ट से यह काउंसलिंग खास तरह की होती है, क्योंकि यह इस विश्वास पर आधारित है कि परिवार सहित विभिन्न सामाजिक संस्थान इस हिंसा के मुख्य केंद्र और स्रोत हैं। यह एक ऐसी मूल्य व्यवस्था है जो इस प्रक्रिया में महिला की आत्मसत्ता (ह्मदबल) को केंद्रीय मानती है और इस बात के लिए प्रयास करती है कि वह हिंसा को खत्म करने के लिए अपनी आत्मसत्ता का इस्तेमाल करे।

नारीवादी काउंसलिंग के सिद्धांत

- नारीवादी काउंसलिंग अधिकार आधारित अवधारणा/सोच पर आधारित है।
- नारीवादी काउंसलिंग का मकसद मदद की इच्छुक महिला को मदद देना है। इस प्रक्रिया में वह पीड़ित से सर्वाइवर और आगे चलकर खुद अपने दम पर परिवर्तन की वाहक बन सकती है।
- यह प्रक्रिया मान्यता पर भी आधारित है कि हिंसा का सामना कर रही महिला खुद भी दूसरी संकटग्रस्त महिलाओं को मदद देने की सामर्थ्य रखती है। इससे सामूहिक प्रयासों का रास्ता खुलता है।
- नारीवादी काउंसलिंग की प्रक्रिया एक महिला की आत्मसत्ता को मान्यता देती है, उसे अपने अपराध-बोध से बाहर निकलने में मदद देती है और इस दिशा में बढ़ने की तरफ प्रोत्साहित करती है कि वह खुद अपने फैसले ले सके और अपनी ज़िंदगी पर अपना नियंत्रण कायम कर सके।
- कोई महिला जब नारीवादी परिधियों में मदद के लिए प्रयास करती है वहां उसे अपनी स्थिति को व्यक्त करने, उस पर सोचने-विचारने, उसका विश्लेषण करने और ज़िंदगी को सींचने वाले समाधान ढूंढने का मौका मिलता है।
- इस प्रक्रिया में महिला के अनुभवों को मान्यता व वैधता मिलती है; उसको फैसले लेने, उन पर पुनर्विचार करने व अपनी राय बदलने की आज़ादी होती है।
- नारीवादी काउंसलिंग में आत्मनिर्णय का अधिकार और सोच-समझकर फैसले लेने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

- मदद की इच्छुक महिला का ब्यौरा पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। इसका कारण यह है कि हम ख़ामोशी की उस राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, जो एक औरत को हिंसा के हालात में भी चुप्पी साधे रहने के लिए मजबूर करती है।
- केस वर्कर्स को इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि पीड़ित महिला अपने साथ हुई हिंसा का जो ब्यौरा दे रही है वह सही है और उन्हें पीड़ित महिला की नजर से हालात को समझने का प्रयास करना चाहिए।
- केस वर्कर को उससे हमदर्दी रखनी चाहिए। मदद के लिए आयी महिला के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए।
- केस वर्कर को वस्तुनिष्ठ रवैया अपना चाहिए और मदद मांगने आई महिला से अपनी हदें बनाए रखनी चाहिए। उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।
- केस वर्कर को एक औरत की विविध सामाजिक पहचानों को समझना चाहिए। उसे हर औरत को खास और व्यक्तिगत स्तर पर देखना चाहिए और उसको उसका "समरूपीकरण" करने या उसकी ज़रूरतों का सामान्यीकरण करने का प्रयास करना चाहिए।
- केस वर्कर और सरवाइवर के परस्पर असमान सत्ता संबंधों को छुपाने की जरूरत नहीं है। नारीवादी काउंसलर को इस फासले को कम करने का प्रयास करना चाहिए।
- नारीवादी काउंसलिंग की व्यापक दृष्टि को मदद की इच्छुक महिला के राजनीतिकरण और चेतनाकरण का साधन कहा जा सकता है।

सेवा प्रदाताओं की सूची (नई दिल्ली)

कानूनी सहायता

- लॉयर्स कलेक्टिव (वीमेन्स राइट्स इनिशिएटिव) 011-24373993/24372923
- ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क 011-24374501/24376922
- दिल्ली लीगल सर्विस ऑथोरिटी 011-23383014

(http://dlsa.nic.in/contactus.html पर विवरण उपलब्ध है)

संकटग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन

- पुलिस 1091
- सहेली (बुधवार एवं शनिवार) 011-24616485
- दिल्ली महिला आयोग 011-23379181/23074344
- अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1800.11.9292 10921/23234918
- राष्ट्रीय महिला आयोग 011-23237166/23234918
- पूर्वोत्तर हेल्पलाइन 1800-11-4000

शेल्टर होम्स

- अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (बापनूघर) 011-23381377
- महिला दक्षता समिति (स्नेहालय) 011-22375113
- वाई.डब्ल्यू.सी.ए. 011-23362779/975

यौन स्वास्थ्य / यौनिकता संबंधी मुद्दे

- संगिनी ट्रस्ट 011-65676450
- नाज़ फाउंडेशन 011-26910499
- तारशी 011-26474022/26472229

मानसिक स्वास्थ्य आघात

- मानस 011-41708517/41707590
- संजीवनी 011-26862222/24318883
- इंस्टीट्यूट ऑफ़ ह्यूमन बिहेवियर एण्ड एलाइड साइंसेज़ 011-22583322/22114021

संरक्षण अधिकारियों की सूची (नई दिल्ली)

(1) सुश्री बिनीता बहुगुणा, 20/21, गुलाबी बाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिला उत्तरी दिल्ली, फोन –

(2) सुश्री कविता शर्मा, निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स, जेल रोड, जिला पश्चिमी दिल्ली, फोन –

(3) सुश्री अंजलि चौधरी, निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स, जेल रोड, जिला पश्चिमी दिल्ली, फोन –

(4) परमेश टोकस, उद्योग सदन, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कुतुब होटल के पास, जिला दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, फोन –

(5) सुश्री किरण शर्मा, कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, जिला दक्षिणी दिल्ली, फोन –

(6) सुश्री प्रीति मुद्गल, ब्लॉक संख्या 10, गीता कॉलोनी, शमशान घाट के सामने, जिला पूर्वी दिल्ली, फोन –

(7) सुश्री रंजना सिंह, ब्लॉक संख्या 10, गीता कॉलोनी, शमशान घाट के सामने, जिला पूर्वी दिल्ली, फोन –

(8) सुश्री दीक्षा, शंकर आश्रम फॉर गर्ल्स, दिलशान गार्डन, जी.टी.बी. अस्पताल के सामने, जिला उत्तरी-पूर्वी दिल्ली, फोन –

(9) सुश्री नेहा वालिया, संस्कार आश्रम फॉर गर्ल्स, दिलशान गार्डन, जी.टी.बी. अस्पताल के सामने, जिला उत्तरी-पूर्वी दिल्ली, फोन –

(10) सुश्री मधु मानवी, 12/1, जामनगर हाऊस, शाहजहां रोड, जिला मध्य दिल्ली, फोन–

(11) सुश्री प्रीति सक्सेना, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट,

जिला मध्य दिल्ली, फ़ोन–

(12) सुश्री कीर्ति ढाका, एन.पी. स्कूल फ़ॉर डेफ़, सेक्टर–4, विश्राम चौक के निकट, रोहिणी, जिला उत्तर पश्चिमी दिल्ली, फोन–

(13) सुश्री स्नेह यादव, एन.पी. स्कूल फॉर डेफ़, सेक्टर–4, विश्राम चौक के निकट, रोहिणी, जिला उत्तर पश्चिमी दिल्ली, फोन –

(14) सुश्री किरण, एनपी स्कूल फॉर डेफ़, सेक्टर–4, विश्राम चौक के निकट, रोहिणी, जिला उत्तर पश्चिमी दिल्ली, फोन –

(15) सुश्री ज्योति सिरोही, के–5/3, मॉडल टाउन प्प्, जिला उत्तर पश्चिमी दिल्ली प्, फोन –

(16) सुश्री नीलम, के–5/3, मॉडल टाउन प्प्, जिला उत्तर पश्चिमी दिल्ली प्, फोन –

(17) सुश्री नीरज चौहान, के–5/3, मॉडल टाउन प्प्, जिला उत्तर पश्चिमी दिल्ली प्, फोन –

JAGORI
B-114, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi 110017
Phone #: (011) 26691219 & 26691220
Helpline: (011) 2669 2700
Fax #: (011) 2669 1221
Email: jagori@jagori.org, helpline@jagori.org
Website: www.jagori.org